न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 44/2012

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
मनोहरसिंह पुत्र वेनसिंह जाति चौहान निवासी करणवा		1 हीराराम पुत्र हिन्दूराम जाति रबारी निवासी करणवा तहसील बाली जिला पाली 2 ग्राम पंचायत मिरगेश्वर जरिय सरपंच,

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री पवन सिंघल, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री चन्द्रप्रकाश सिंघानिया, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1
3. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक 11/5/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत मिरगेश्वर द्वारा मिसल संख्या 16/2006–2007 में पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 05.11.2009 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी पट्टा संख्या 48 दिनांक 05.11.2009 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने मकान का पट्टा बनाने हेतु कोई आवेदन ही प्रस्तुत नही किया, इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम मिसल कायम कर कार्यवाही आरम्भ कर दी, जो सरासर गलत एवं निराधार है। मौके पर अप्रार्थी का कोई मकान ही स्थित नही है। ग्राम पंचायत में सचिव द्वारा नक्शा बनाकर प्रस्तुत किये जाने का कोई औचित्य एवं आधार नही था। मौके पर नापचौक करने का कोई इन्द्राज नही है। जिन वार्ड पंचो को मौका निरीक्षण हेतु नियुक्त किया गया, उनका नाम भी आदेशिका में हेराफेरी कर बाद में अंकित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निर्माण स्वीकृति प्रदान कराने की अनुमति चाही है, जबकि पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने की प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा ही जारी कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 ने पंचायत के समक्ष बयान कलमबद्ध करवाये, जिसमें यह स्वीकार किया कि मोके पर उनका 30 वर्ष पुराना कब्जा है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 नियम 157 के तहत पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी ही नही था, इसके बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा विधि की अवहेलना कर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी करने का आदेश पारित किया गया है, जो सरासर गलत है। प्रार्थी का पट्टासुदा मकान ग्राम पंचायत मिरगेवश्र मे 25 बाई 45 वर्गफुट का आया हुआ स्थित है, जिसके उत्तर दिशा में मोतीलाल देवासी का मकान

अति. जिला कलेक्टर, पाली

तथा पश्चिम में 5 फुट जगह छोड़ कर 25 बाई 40 में मकान बनाया गया है तथा जो 5 फुट स्थान छोडा गया है, उसमें प्रार्थी का दरवाजा निकाला गया है, जो प्रार्थी की भूमि है। उक्त भूमि पर प्रार्थी के अलावा अन्य किसी का अधिकार नही है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 2 उक्त पट्टे के आधार पर प्रार्थी के कब्जासुदा भूमिपर दखलन्दाजी की जा रही है तथा अपने दरवाजा निकालने का प्रयास किया जा रहा है एवं उक्त भूमि का कब्जा लेने हेतु अप्रार्थी आमादा है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों के विपरित एवं बिना कोई प्रक्रिया अपनाऐ अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी का पुराना पैतृक मकान था, जिसके पुनःनिर्माण करवाने हेतु अनुमति दिलाने एवं पट्टा जारी करने हेतु अलग अलग आवेदन पत्र अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किये तथा आवेदन शुल्क जमा करवाया। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा रसीद जारी कर मिसल तैयार की गई, जिसका इन्द्राज पंचायत की बैठक कार्यवाही विवरण में भी अंकित है। अप्रार्थी संख्या 1 के मकान के पीछे रास्ता एवं चबूतरे की भूमि स्थित है। प्रार्थी ने रास्ते एवं चबूतरे की भूमि पर ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर पट्टा अपने नाम जारी करवाया, जिसे न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा चुका है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पंचायत द्वारा मिसल तैयार करवाई जाकर सचिव को नक्शा तैयार करने के आदेश पारित किये। उसके पश्चात नक्शा प्रस्तुत होने पर तीन वार्ड पंचो की कमेटी को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया गया। पंचो द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अन्तरिम आदेश पारित किया जाकर एक माह का आपत्ति नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये गये। निर्धारित समय सीमा में किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नही होने पर कब्जा साबित करने हेतु दो गवाहों के बयान कलमबद्ध किये गये एवं इसके पश्चात समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया। ग्राम पंचायत ने विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए समस्त कार्यवाही पूर्ण कर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक अनियमितता नही है। अतः निगरानी खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0टी0 2015 (2) पेज 967, डी0एन0जे0 (राज.) 1995 पेज 415, आर0आर0टी0 2004 (1) पेज 623 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत मिरगेश्वर द्वारा मिसल संख्या 16/2006–2007 में पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 05.11.2009 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी पट्टा संख्या 48 दिनांक 05.11.2009 के विरूद्ध पेश की गई है। ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 05.03.2007 को पृथक पृथक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने बाबत तथा कमठा परमीशन दिलाने का निवेदन किया। पुश्तैनी मकान का पट्टा दिलाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सरपंच ग्राम पंचायत मिरगेश्वर द्वारा यह अंकित किया गया कि "हीराराम पुत्र हिन्दुराम देवासी निवासी

अति. जिला कलेक्टर, पाली

करणवा ने पट्टा बनाने एवं कमठा परमीशन दिलवाने हेतु दो आवेदन पत्र दिनांक 05.03.2007 को पेश किये है। पट्टा कार्यवाही पूर्ण होने के बाद कमठा परमीशन की कार्यवाही हेतु प्रार्थी को हिदायत दी गई।" इसके पश्चात उक्त आवेदन पत्र पर दिनांक 28.03.2007 को मिसल कायम की गई, जिसका ताईद ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 28.03.2007 के प्रस्ताव संख्या 2 से होती है, जिसमें क्रम संख्या 18 पर मिसल संख्या 16/2006–07 का इन्द्राज है। इसके पश्चात मिसल दिनांक 05.04.2007 को ग्राम पंचायत कोरम के समक्ष प्रस्तुत होने तथा सचिव द्वारा नक्शा तैयार कर प्रस्तुत करने पर तीन पंचो को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया गया। इस कार्यवाही का इन्द्राज प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.04.2007 में है। इसी पालना में तीन वार्ड पंचो ने अपनी रिपोर्ट ग्राम पंचायत को प्रस्तुत की, जिसमें पुराना कब्जा सुदा मकान बना होना बताया। इसके पश्चात दिनांक 20.04.2007 में प्रस्ताव संख्या 3 के जरिये अस्थाई निर्णय लिया जाकर नियम 148 के तहत एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने का आदेश पारित किया गया। इस आदेश की पालना में नोटिस जारी किया गया। इसके पश्चात प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 20.07.2007 के जरिये प्रार्थी को कब्जा साबित करने हेतु दो गवाहों के बयान कलमबद्ध कराने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश की पालना में रामाराम पुत्र भबूताजी रबारी तथा नाथूसिंह पुत्र भीकसिंह राजपूत के बयान कलमबद्ध किये गये। गवाहो ने अपने बयानों में भूमि पर हिराराम का 30 वर्ष पुराना मकान बना होना जाहिर किया। इसके पश्चात प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 05.11.2007 के जरिये नियम 157 (ख) के तहत अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी करने का आदेश पारित किया गया। दिनांक 05.11.2009 को सम्पूर्ण राशि जमा होने के कारण प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 05.11.2009 के जरिये अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी किया गया। इस सम्पूर्ण कार्यवाही में किसी प्रकार की अनियमितता प्रकट नही होती है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत मिरगेश्वर द्वारा मिसल संख्या 16/2006–2007 में पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 05.11.2009 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी पट्टा संख्या 48 दिनांक 05.11.2009 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत मिरगेश्वर का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 12/5/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली